

बाल विवाह

मुक्त

छत्तीसगढ़



unicef
for every child

हम विवाह रीति, रस्म और परंपरा के अनुसार करवाते हैं,
लेकिन बाल विवाह का मामला हो तो



18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी
करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करवाने वाले और उनका सहयोग करने वाले
भी दंड के भागीदार होते हैं।